I. अभिकर्ता भर्ती परीक्षा हेतु आईसी-38 पुस्तक के महत्वपूर्ण नोट्स Starting

1.वर्ष 1706 में लायड्स (लंदन) में शुरू की गई "एमीकेबल सोसायटी फार परपीचूअल एश्योरेंस" विश्व की सर्वप्रथम बीमा कंपनी है
2.सन 1818 में स्थापित दि ओरिएंटल लाइफ इंसुरेन्स क॰ भारत की पहली इंग्लिश जीवन बीमा कंपनी थी
3.सन 1850 में स्थापित ट्रीटन बीमा कंपनी लि॰ भारत की पहली गैर जीवन बीमा कंपनी थी
4. भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी नेशनल इंसुरेन्स क॰ 1906 मे प्रारम्भ हुई थी जो आज भी है
5.बीमाअधिनियम1938 पहला कानून था जो बीमा कंपनी के संचालन एवं नियंत्रण हेतु बनाया गया था जो जुलाई 1939 से लागू हुआ
6.बीमे के संबंध मे सर्वप्रथम नियम 1912 में बनाये गए थे
7.जीवनबीमा का राष्ट्रीयकरण 1 सित॰1956 को किया गया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई
8.गैर जीवनबीमा का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया
9.सन2000 में बीमा को प्रतियोगिता के लिए खोला गया एवं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAकी स्थापना हुई
10.बीमा एक एसी प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक लोगों की हानि को बहुत से लोगों में बांटा जाता है। यह पूलिंग के जरिये जोखिम ट्रांसफर है
11.आस्ति अर्थात एसी संपत्ति जिसका आर्थिक मूल्य हो, अथवा जिससे आर्थिक प्रतिफल मिलता हो। इसके नष्ट होने की जोखिम हेतु बीमा किया जाता है। जीवन बीमा में भी आर्थिक मूल्य निकालना होता है इसीलिए मानव जीवन मूल्य HLV अवधारणा का विकास हुआ। इसे प्रो॰ हयूबनर ने विकसित किया था
12.साधारण बीमा में क्षतिपूर्ति अनुबंध होता है जबकि जीवन बीमा आश्वासन अनुबंध होता है
13.जीवनबीमा में आयु के अनुसार जोखिम एवं प्रीमियम मे वृद्धि होती है परंतु सम्पूर्ण काल में प्रीमियम एक समान ली जाती है इसे ही LAVEL PREMIUM (स्तरीय प्रीमियम) /औसत प्रीमियम कहते हैं
14.बीमा पॉलिसी दो पक्षों- बीमा कंपनी एवं बीमा धारक के बीच भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के नियमों के तहत एक अनुबंध होता है एवं पॉलिसी दस्तावेज़ इस अनुबंध का साक्ष्य होता है। प्रीमियम बीमित से प्राप्त प्रतिफल एवं क्षतिपूर्ति का आश्वासन बीमाकंपनी से प्राप्त प्रतिफल है
15.बीमा अनुबंध का एक मौलिक सिद्धांत है-परम सदभाव (UTMOST GOODFAITH) अर्थात अनुबंध करने वाला प्रत्येक पक्ष बीमे की विषयवस्तु से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा करेगा
16.बीमा अनुबंध का एक अनिवार्य अंग है-बीमायोग्य हित (INSURABLE INTREST)- यह तभी होता है जब बीमित का उस संपत्ति में आर्थिक हित होता है जिसका वह बीमा करवा रहा है। यही बीमे को जुए से अलग करता है।
17. अनुदान बीमा कारोबार का तत्व नहीं है
18.शेयर धनसंचय उत्पाद है जबकि बैंक खाता लेन-देन संबंधी उत्पाद है
19.जीवनबीमा में पॉलिसी लेते समय एवं साधारण बीमा में पॉलिसी लेते समय एवं दावा करते समय भी बीमायोग्य हित होना चाहिए
20.मियादी/अवधि बीमा (TERM INSURANCE) निश्चित समयावधि मे बीमा कवर प्रदान करता है । इसमे बचत तत्व नहीं होता है अत: पूर्णावधि पर बीमाधन नहीं मिलता है । यह अस्थाई बीमे का प्रकार है। यह राइडर के रूप में भी मिलता है ।
21.आजीवन बीमा स्थायी बीमे का प्रकार है इसमे आजीवन बीमा कवर मिलता है
22.एंडोमेंट बीमा मियादी बीमा एवं शुद्ध एंडोमेंट बीमा का संयोजन है। इसमें बीमा अवधि के अंत तक जीवित रहने पर भी बीमाधन का भुगतान होता है।इसमे बचत तत्व भी होता है।इसके अन्य प्रकार है धनवापीसी बीमा जिसमे बीच बीच में धनवापीसी भी होती है
23.मियादी बीमा का प्रीमियम अन्य बीमा की तुलना मे सबसे से कम होता है
24.यूनिवर्सल बीमा,परिवर्ती बीमा एवं यूनिट लिंक बीमा गैर परंपरागत जीवन बीमे के प्रकार है। यूनिवर्सल बीमा की शुरुवात 1979 में अमेरिका में हुई थी यह स्थाई बीमे का प्रकार है। इसमे प्रतिफल की दर तय करना आसान नहीं होता।
25. बंधक मुक्ति बीमा (MORTGAGE REDUMPTION INSURANCE) MRI –यह बंधकदाता द्वारा उसकी मृत्यु की दशा मे बंधक ऋण की शेष राशी की अदायगी के लिए ली जाने वाली घटती मियादी जीवन बीमा पॉलिसी है ।
26.यूलिप पॉलिसी मे निवेश जोखिम बीमाधारक वहन करता है
27.स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अस्पताल मे भर्ती होने की दशा में इसके एसे खर्चों को कवर करती है जो कि पॉलिसी के अपवर्जन का हिस्सा नहीं हो
28. स्वास्थ्य बीमा उत्पाद 3श्रेणियों मे वर्गीकृत है- 1) क्षतिपूर्ति कवर-अस्पताल मे भर्ती होने के वास्तविक खर्चो का भुगतान करते है
2) निश्चित लाभ कवर-इसे हौस्पिटल कैश भी कहते है, यह अस्पताल मे भर्ती होने की अवधि के लिए प्रतिदिन एक निश्चित राशि देते है 3) गंभीर बीमारी कवर-यह पूर्व वर्णित गंभीर बीमारी होने पर भुगतान करता है ।
29. भारत मे स्वास्थ्य बीमा की औपचारिक शुरुवात कर्मचारी राज्य बीमा ESI के साथ 1947 मे हुई थी इसके पश्चात् केंद्र सरकार के कर्मचारियो हेतु 1954 मे सी जी एच एस प्रारम्भ की गयी थी।

30. वर्तमान मे 24 जीवन बीमा कंपनी, 28 साधारण बीमा कंपनी, तथा 5 एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनी है ।
31.स्वास्थ्य बीमा मे कैश लैस सुविधा का मतलब है कि पॉलिसी के नियमों एवं सीमाओं के भीतर उपचार के खर्चों का भुगतान कंपनी द्वारा सीधे अधिकृत नेटवर्क प्रदाता को किया जाता है। बीमाधारक को भुगतान नहीं करना पड़ता है
32.फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी मे बीमाधन पूरे परिवार के सदस्यों के लिए होता है जिन्हे इसमें शामिल किया गया है बीमाराशि की सीमा तक परिवार के एक या अधिक सदस्य मिलाकर दावा राशि प्राप्त कर सकते है
33.टीपिए का अर्थ है तृतीय पक्ष व्यवस्थापक। यह बीमा कंपनी से अधिकृत होता है। इसका प्रयोजन बीमाधारक को निशुल्क सेवा करना भी होता है
34. रायडर/आरोहक/एड ऑन कवर से तात्पर्य है कि मूल बीमा योजना के लाभों के अतिरिक्त दिये जाने वाले लाभ। इसके लिए जाने वाली प्रीमियम सभी आरोहको को मिला कर मूल उत्पाद के प्रीमियम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी
35. वारंटी– पॉलिसी मे स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है जिसका अनुबंध की वैधता के लिए अक्षरश पालन लिया जाना आवश्यक
36. पृष्ठांकन– पॉलिसी के नियमो और शर्तों मे संशोधन की आवश्यकता होने पर किया जाता है
37. नेटवर्क प्रदाता का अर्थ है –कोई हौस्पिटल या नर्सिंग होम जो बीमा धारको को नकदीरहित इलाज की सुविधा प्रदान करने के बीमा कंपनी से अधिकृत होता है ।
38. बीमा वेब एग्रीग्रेटर– ये वेब साइट या टेली मार्केटिंग के माध्यम से बीमा के संभावित ग्राहको की जानकारी एकत्र कर बीमाकं को देना,बीमा उत्पादो का प्रदर्शन एवं बीमा संबधित सेवाए देने का कार्य करते है
39. मेलस (प्रीमियम अधिभार)–स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी मे बड़ी राशि का दावा भुगतान किया गया हो तब नवीनीकरण के सम एक अतिरिक्त प्रीमियम ली जाने वाली राशि
40. NO CLAIM BONUS (कोई दावा नहीं होने की छूट)-कुछ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी मे वर्ष मे कोई भी दावा नहिहोने पर बोन प्रीमियम मे छूट प्रदान की जाती है ।
41. गैर जीवनबीमा पॉलिसी वार्षिक आधार पर जारी की जाती है, नवीनीकरण हेतु बीमा कंपनी को सूचना/नोटिस भेजने की बा नहीं है। धारा 64VB के अनुसार कोई भी जोखिम स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वास्तव मे प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ
42. IIB (भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो)
43.विवाहितमहिला संपत्ति अधिनियम (MWP ACT) 1874 की धारा6 के अंतर्गत ली गयी पॉलिसी पत्नी एवं बच्चों के लाभों की सु करती है।यह पति के जीवन पर ली जाती है। एसी पॉलिसी अदालती कुर्की एवं लेनदारों के नियंत्रण से बाहर होती है ।
44.प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी (KEY MAN INSURANCE) एक व्यवसाय द्वारा व्यवसाय के महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन पर ली ज वाली पॉलिसी होती है जिसके न रहने पर व्यवसाय को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है ।
45.प्रीमियम शब्द उस मूल्य को दर्शाता है जिसका बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए बीमाधारक द्वारा भुगतान किया जाता है
46. प्रीमियम के पाँच घटक होते है– म्रत्यु, ब्याज, प्रबंधन व्यय, आरक्षित निधि,बोनस लदान। पहले दो घटक से शुद्ध प्रीमियम बन अन्य घटकों को जोड़ने पर सकल या ऑफिस प्रीमियम बनता है।
47. विवरण पुस्तिका (प्रोस्पेक्टस) बीमा कंपनी का औपचारिक कानूनी दस्तावेज़ है जो उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है
48.FPR/प्रथम प्रीमियम रसीद बीमा प्रारम्भ होने का प्रथम साक्ष्य है
49.स्कूल से जारी प्रमाण पत्र, नगरपालिका से जारी प्रमाण पत्र, सेवा अभिलेख, पासपोर्ट, बाइबल उद्धरण (बप्टिस्म सर्टिफिकेट) मा आयु प्रमाण पत्र है इसके अतिरिक्त सभी अमानक आयु प्रमाण पत्र है
50.मनी लौंडरींग का अर्थ है काले धन के मूल को छिपाकर उसे वैध बनाना या वैध रूप मे चलाना
51."फ्रीलुक अवधि" या "कूलिंग ऑफ अवधि" 15 दिनो की होती है। इसके अनुसार पॉलिसी जारी होने के 15 दिन के भीतर इ निरस्त करा कर राशि वापिस ली जा सकती है
52.रियायती अवधि या ग्रेसपीरियड--सालाना,छः माही,तिमाही पॉलिसी मे प्रीमियम भुगतान हेतु 1 माह या 31दिन का समय मिल
53.बीमा अधिनियम की धारा 113 के अनुसार 3वर्षों के प्रीमियम चुकाने के पश्चात ग्यारंटिड सरण्डर वेल्यू अवश्य मिलेगी।
54.पॉलिसी ऋण–यह सरण्डर वेल्यू के निर्धारित प्रतिशत तक दिया जाता है। यह व्यावसायिक ऋण से दो तरह से भिन्न होता है- 1) इसे चुकाने की कानूनी बाध्यता नहीं है 2) इसमे किसी क्रेडिट जांच की आवश्यकता नहीं होती
55.नामांकन (NOMINATION)-बीमा अधिनियम की धारा 39 के अनुसार बीमित यह प्रस्तावित करता है कि उसकी म्रत्यु के पश्चा बीमा राशि का भुगतान किस को किया जाए। बीमित की मृत्यु पूर्व नामांकित के कोई अधिकार नहीं होते है। नामित अवयस्क हो अपाइंटी की नियुक्ति की जाती है।नामांकन एक से अधिक के पक्ष मे भी हो सकता है
56.समनुदेशन(ASSIGNMENT)- बीमा अधिनियम की धारा 38 के अनुसार बीमित पॉलिसी के अंतर्गत समस्त अधिकार एवं हित व्यक्ति को सौप देता है। समनुदेशन करने वाले को समनुदेशक एवं जिसके पक्ष मे होता है उसे समनुदेशिती कहते है
57.बीमालेखक (UNDERWRITER) जोखिम की स्वीकार्यता का निर्णय लेता है। दावा अस्वीकृति बीमालेखक का निर्णय नहीं होता

58.निर्विवादित क्लोज (INDISPUTABILITY CLAUSE)- बीमा अधिनियम की धारा 45 के अनुसार कोई भी पॉलिसी जोखिम प्रा तिथि के 3वर्षों के बाद सवालों के घेरे में नहीं लायी जाएगी जब तक कि छिपाए हुये तथ्य महत्वपूर्ण जानकारी नहीं हो। यह बीमे के हित मे है।

59.जोखिम प्रारम्भ तिथि से 3वर्ष के भीतर मृत्यु होने से उत्पन्न दावे शीघ्रमृत्यु दावे कहलाते है। बाकी दावो को अशीघ्रदावा कहते

60.IGMS का अर्थ है इंटीग्रेटेड ग्रीवान्स मेनेजमेंट सिस्टम-यह IRDA द्वारा गठित एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली है।

61.7 वर्षों से लापता व्यक्ति को मृत मानते हुए मृत्यु दावा दिया जाता है बशर्ते इस अवधि में भी किश्त का भुगतान किया गया हो

62.उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम1986 के तहत जिला उपभोक्ता फोरम,राज्य आयोग,राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है

63.जिला उपभोक्ताफोरम मे 20लाख तक,राज्यआयोग मे 1करोड़ तक,राष्ट्रीयआयोग मे 1करोड़ से अधिक के केस दर्ज कराये जाते है

64.बीमा लोकपाल की स्थापना 1998 मे की गयी थी।इसमे 20लाख तक की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है

65.कुल बीमालोकपाल 12 है। इन्हे 90 दिन मे अपना निर्णय देना होता है। निर्णय बीमा क॰ पर बंधनकारी है बीमित पर नहीं है।

66.एजेंट को नियुक्ति पत्र बीमा कंपनी द्वारा जारी किया जाता है(धारा 40(1) के अंतर्गत)।यह 3वर्ष के लिए वैध रहता है।

67.बीमालेखन के उपकरण है-प्रस्ताव पत्र,आयु प्रमाण,वित्तीय दस्तावेज़,मेडीकल रिपोर्ट,बिक्री की रिपोर्ट।एजेंट प्रथम बीमालेखक होता है

68.बीमा कंपनी को प्रस्ताव प्राप्ति के 15 दिन के भीतर कार्यवाही कर निर्णय या आवश्यकताए बताना जरूरी है ।

69.मानक जीवन से तात्पर्य एसे जीवन से है जिनकी अनुमानित मृत्यु दर, मृत्यु दर तालिका मे दिखाये गए मानक जीवनो से मेल खाती हो। इसके अतिरिक्त अन्य जीवनो को अमानक जीवन कहते है ।

70.बीमा कंपनी केवल बीमाधन एवं प्रीमियम भुगतान विधि जैसे छमाही, वार्षिक आदि के लिए ही प्रीमियम पर छुट दे सकती है।

71.आयकर मे बीमा प्रीमियम के लिए छूट धारा 80सी के अंतर्गत मिलती है जो अधिकतम 150000 है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए छूट धारा 80डी के अंतर्गत छूट मिलती है। आयकर की धारा 10(10)डी के अनुसार परिपक्वता (MATURITY) पर प्राप्त राशि आयकर से मुक्त होती है। रु॰250000 तक की करयोग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

72.NAV(NET ASSET VALUE)- यूलिप पॉलिसी मे यूनिट दिये जाते है। प्रति यूनिट की संपत्ति (जिसमे धन निवेश किया गया है के बाजार मूल्य को एनएवी कहते है ।

73.IIB(भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो) - इसका कार्य बीमा क्षेत्र से संबंधित जानकारी एवं डाटा प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना है।

74.ग्राहक के आजीवनमूल्य से तात्पर्य उन आर्थिक लाभों के योग से है जो लंबी अवधि मे ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बनाकर प्राप्त किए जा सकते है ।

75.TAT(TURN AROUND TIME)-बीमा कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित स

76.चूक/व्यपगत/लेप्स- का अर्थ है कि पोलिसिधारक ने प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया है ।

77.पॉलिसी वापिस लेना/सरण्डर- का अर्थ है कि पोलिसिधारक ने पॉलिसी मे उपार्जित राशि वापिस ले ली है।

78.आधिक्य/अधिशेष/सरप्लस- देनदारी मूल्य की तुलना मे परिसंप्पतियों के मूल्य का अधिक होना। जबकि लाभ/प्रॉफ़िट- खर्चो पर आय की अधिकता है। बोनस का निर्धारण आधिक्य/अधिशेष/सरप्लस पर निर्भर है।

79.पॉलिसी के तहत दावे का भुगतान करना या उस पर किसी विवाद की सूचना देना, सभी दस्तावेज़ एवं आवश्यकताओं की पूर्ति 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य है।

80॰सक्रिय रूप से सुनने मे शामिल है- वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिरहिलना, मुस्कराना एवं प्रतिक्रीया देना।